

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगपुर सिटी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 99/2022

(75 एल.आर.एक्ट.)

उनवान

1. नन्दराम उर्फ कल्ला पुत्र श्री शिवलाल जाति मीना निवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर।
2. केदार पुत्र पुत्र श्री शिवलाल जाति मीना निवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर।
.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिए नायब तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

उपरिथत:-

1. श्री गोपाल लाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी।
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

::: निर्णय :::

दिनांक:- 29/9/2023

यह अपील न्यायालय नायब तहसीलदार वजीरपुर के मुकदमा नं0 123/22 वउनवानी सरकार बनाम नन्दराम उर्फ कल्ला वगै0 निर्णय दिनांक 02.09.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ग्राम मैडी द्वारा अपीलार्थीगण के खिलाफ संवत् 2079 में खरीफ फसल में अनाधिकृत खसरा नं0 1310 रकबा 0.25 हैक्टर सिवायचक भूमि पर कब्जा करने की रिपोर्ट नायब तहसीलदार वजीरपुर के समक्ष पेश की नायब तहसीलदार वजीरपुर ने अपीलार्थीगण को 60 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये हैं जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण को यह अपील पेश करना आवश्यक हुई है। निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून है जो खारिज होने योग्य है। अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं होते हुए भी सिविल कारावास से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस तामील नहीं हुए उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थीगण को अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 2.9.2022 की जानकारी हल्का पटवारी ग्राम मैडी से दिनांक 07.12.2022 को हुई है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 02.9.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थीगण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को नायब तहसीलदार वजीरपुर के आदेश दिनांक 02.09.2022 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 02.9.2022 की जानकारी हल्का पटवारी ग्राम मैडी से दिनांक 07.12.2022 को हुई है। इससे पूर्व प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को आदेश दिनांक 2.9.2022 की जानकारी दिनांक 07.12.2022 को होने से अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मान तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई।



32
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी

